प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। प्रतिवेदन का अध्याय IV संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से सम्बन्धित है, इसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सेवा (डी पी सी) अधिनियम 1971 के कर्तव्य, अधिकार व शर्तों जिसे 1984 में संशोधित किया गया था, की धारा 19(क) के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इन मंत्रालयों के अधीन विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा व अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे उदाहरण हैं जो 2017-18 की अवधि में जाँच लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आये थे तथा पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नही किया जा सका था।

लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।